

# हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला-176213

क्रमांक: हि०शि०बो०/संबद्धता/38/2016

21238-

दिनांक: 30/11/2016

## संबद्धता आवेदन के हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश।

1. सत्र 2017-18 की संबद्धता कक्षा 9th से +2 के लिए संबद्धता नवीनीकरण (Renewal Affiliation) कक्षा स्तरोन्नत (Upgradation) एवं नई संबद्धता (fresh Affiliation) प्राप्त करने वाले निजी शिक्षण संस्थानों द्वारा निम्न प्रक्रिया अमल में लाई जानी है।

क्रम/क	संबद्धता प्रक्रिया	मास/तिथि
1.	बोर्ड कार्यालय द्वारा विभिन्न समाचार पत्रों (तीन हिन्दी एवं तीन अंग्रेजी) के माध्यम से संबद्धता प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र मंगवाये जाने वाले समाचार प्रकाशित किये जायेंगे।	मास सितम्बर
2.	निजी शिक्षण संस्थानों को अपने संबद्धता आवेदन बोर्ड कार्यालय में जमा करवाने होंगे।	31 अक्टूबर तक
3.	बोर्ड कार्यालय द्वारा प्राप्त आवेदनों पर संस्थानों का निरीक्षण करवाया जायेगा।	30 नवम्बर तक
4.	संस्थानों को प्राप्त आवेदनों/ निरीक्षण पर पाई गई कमियों को बोर्ड कार्यालय द्वारा संस्थानों को सूचित किया जायेगा।	15 दिसम्बर तक
5.	संस्थानों द्वारा कमियों की पूर्ति की जायेगी।	30 दिसम्बर तक
6.	बोर्ड कार्यालय द्वारा संस्थानों के आवेदनों पर लिये गये निर्णय बारे सूचित किया जायेगा।	31 जनवरी तक

2. संबद्धता रेगुलेशन एवं आवेदन पत्र गत वर्ष की भान्ति केवल बोर्ड वेबसाईट पर ही उपलब्ध होगा। इच्छुक संस्थान इसे स्वयं दिनांक 1st अक्टूबर, 2016 से download करके, इसमें मांगी गई समस्त जानकारी भरकर बोर्ड कार्यालय को Online करने के पश्चात भेज सकते हैं। संबद्धता प्राप्ति से पूर्व कोई भी निजी शिक्षण संस्थान अपने स्कूल में किसी भी विद्यार्थी को प्रवेश नहीं देगा, अन्यथा छात्रों को होने वाली हानि और उसकी भरपाई का वह स्वयं उत्तरदायी होगा।
3. निजी शिक्षण संस्थान संबद्धता बारे आवेदन करने से पूर्व विस्तृत जानकारी हेतु Affiliation Rules and Regulations (Prospectus) का गहन अध्ययन अवश्य करें, क्योंकि कौन-कौन से दस्तावेजों को संबद्धता आवेदन के साथ संलग्न किया जाना है उस बारे सही जानकारी मिल सके। सभी संस्थानों को अन्य निर्धारित दस्तावेजों के साथ-साथ नवीनतम Fire Safety Certificate from Chief Fire Officer Shimla/Building Safety Certificate from Executive Engineer PWD Concerned एवं NOC from Education Department से संलग्न करना भी आवश्यक होगा।
4. हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा कक्षा 9th-12th तक की संबद्धता प्रदान की जाएगी। कक्षा 1-8 तक निजी शिक्षण संस्थानों को शिक्षा विभाग द्वारा RTE Act 2009 के अन्तर्गत मान्यता (Recognition) प्रदान किए जाने का प्रावधान है, जिसके लिए उन्हें शिक्षा विभाग के पास आवेदन करना होगा। अतः बोर्ड कार्यालय द्वारा केवल कक्षा 9th से 12th तक की संबद्धता हेतु भेजे जाने वाले आवेदनों को ही स्वीकार किया जाएगा।
5. संबद्धता हेतु सभी आवेदन करने वाले संस्थानों को संबद्धता आवेदन Online करने के पश्चात आवेदन पत्र अन्य दस्तावेजों के साथ डाक के माध्यम से भेजने आवश्यक होंगे। Online आवेदन करने की तिथि 1st अक्टूबर, 2016 से 31<sup>st</sup> अक्टूबर, 2016 निर्धारित की गई है। इसके पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होंगे। संबद्धता शुल्क सभी आवेदनकर्ता संस्थानों को Online Gateway के माध्यम से जमा करवाया जाना है। संस्थानों की सुविधा के लिए फीस जमा करवाने के बारे आवश्यक दिशा-निर्देश निम्न प्रकार से है:-
6. **Online payment करने हेतु संस्थानों के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश:-**

1.	यदि किसी विद्यालय के पास Debit कार्ड है तो Debit कार्ड से 'आनलाइन पेमेंट गेटवे' से अपनी फीस जमा करवा सकते हैं। यदि विद्यालय के पास Debit कार्ड नहीं है तो Credit कार्ड से अपनी फीस जमा करवा सकते हैं।
2.	उपरोक्त अंकित बैंक खाता में Net Banking के माध्यम से भी विद्यालय अपनी फीस जमा करवा सकते हैं।
3.	हि०प्र० स्टेट कॉर्पोरेटिव बैंक में विद्यालय अपना Wallet account/current account खोल कर भी फीस जमा करवा सकते हैं।
4.	विद्यालय हिमाचल प्रदेश के किसी भी लोक मित्र केन्द्र में जाकर भी अपनी फीस उपरोक्त दर्शाए गए बोर्ड के खाते में जमा करवा सकते हैं।

7. इस सम्बन्ध में किसी भी स्कूल की कोई समस्या हो तो निम्नलिखित Help line no. पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

(a) **Regarding Payment Gateway Help Line no.**

1. H.P. State Co Operative Bank: +91-94596-00360,
2. H.P. State Co Operative Bank: +91-94596-00361
3. H.P. State Co Operative Bank: +91-98055-38768
4. Mr.Chaman Lal (Joint Secretary):+91-94189-27712,01892-242108

(b) **Regarding any other queries help line no.**

1. Mr. Puran Dass Kashyap (Deputy Secretary) : +91- 9418615014, 01892-242108:
2. Smt.Suman Sharma (Assist.Secretary) :+91-94180-49817,01892-242117
3. Mr. Rattan Lal Hans (Section Officer) : 94185-93870,01892-242145

सचिव